आरक्षित निर्णय

# उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

## रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1523 वर्ष 2018

नवीन पाण्डेय .............याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग और अन्य ................... प्रतिवादीगण

अधिवक्तागण : याचिकाकर्त्ता की ओर से अधिवक्ता श्री चित्रा कांडपाल
उत्तराखण्ड राज्य की ओर से अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता श्री प्रदीप हैरिया
प्रतिवादी संख्या 1/आयोग की ओर से अधिवक्ता श्री बी0 डी0 काण्डपाल
प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार

**आरक्षित : 04.03.3022**
**घोषित/ सुनाया गया : 10.06.2022**

**माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.**

प्रस्तुत रिट याचिका, तथ्यों की दृष्टि से अपने आप में एक अजीबोगरीब मामला तथा विवाद है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है , जो है–

''क्या वायु सेना से प्राप्त योग्यता को उस विज्ञापन, जिसे राज्य से मान्यता प्राप्त कानून के अनुसार होना चाहिए, में निर्धारित योग्यता के समान माना जा सकता है?''

2. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 जिसे बाद में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कहा गया है, द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक (परिवहन) के तीन रिक्त पदों, जिनका पेय स्केल रू0 9300– 34800 के साथ रू0 4200/– ग्रेड पेय है, पर चयन की प्रक्रिया आयोजित करने के लिए 17 फरवरी 2017 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 मार्च 2017 थी।

3. याचिकाकर्त्ता का तर्क है कि चूंकि उसके पास क्षेत्रीय निरीक्षक (परिवहन) के पद पर भर्ती होने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता थी तथा चूंकि वह जिला उधम सिंह नगर में निवास कर रहा है जिस वजह से उसके उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होने के कारण उसके द्वारा अपनी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की उम्मीदवारी बढा दी गयी थी। जिसके अनुसरण में याचिकाकर्त्ता का कहना है, कि जब उसने अपना आवेदन समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया था, प्रतिवादी ने उसको संसाधित किया था तथा उसके पक्ष में एक एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था जिसमें उसे रोल नं 300002 के साथ भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

4. चयन प्रक्रिया में लिखित व व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन शामिल था और इसके पूर्ण होने पर अन्त में, एक उम्मीदवार को उस विज्ञापित पद, जिसके लिए उसने चयन प्रक्रिया को उत्तीर्ण किया था, पर वास्तविक भर्ती देने से पूर्व उसको स्वंय को नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेजों का सत्यापन कराने के प्रयोजनार्थ उपस्थित होना था।

5. याचिकाकर्त्ता ने प्रस्तुत किया, कि उस एडमिट कार्ड के तहत जो उसके पक्ष में जारी किया गया था, उसके द्वारा लिखित व व्यावहारिक परीक्षा, जो दिनांक 20 अगस्त से 21 अगस्त 2017 के बीच आयोजित की गयी थी, में भाग लिया गया और उनके पूर्ण होने/ परिणति पर, प्रतिवादी द्वारा अधिसूचना संख्याा 263/74–17/2017–18 दिनांकित 20 फरवरी 2018 के माध्यम से परिणाम अधिसूचित किया गया। परिणाम घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप और चूंकि याचिकाकर्त्ता को सफल घोषित किया गया है अतः इस स्तर पर ही यह न्यायालय यह कहना आवश्यक समझता है कि मात्र इस तथ्य के कारण कि–

(i) दस्तावेजों की जांच के बाद प्रवेश पत्र जारी किया गया,

(ii) प्रवेश पत्र के आधार पर , याचिकाकर्त्ता को लिखित परीक्षा देने और फलस्वरूप व्यावहारिक परीक्षा देने की भी अनुमति दी गयी थी।

(iii) केवल इस तथ्य के कारण कि दिनांक 20 फरवरी 2018 को जो परिणाम घोषित किया गया था उसमें उसका नाम भी शामिल था, ये समस्त कारक स्वंय याचिकाकर्त्ता के पक्ष में ,उस पद पर नियुक्ति के लिए जिसे दिनांक 17 फरवरी 2017 को विज्ञापित किया गया था, कोई अपराजेय अधिकार निर्मित नहीं करते है। क्योंकि यह संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है, कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने मात्र से तथा उसके बाद भी उस प्रक्रिया को उत्तीर्ण

करने की घोषण किये जाने से, उस उम्मीदवार के पक्ष में जिसे सफल घोषित किया गया, भर्ती किये जाने का कोई अधिकार निर्मित नही होता है।

6. दिनांक 20 फरवरी 2018 को परिणाम घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 1 ने 9 अप्रैल 2018 को एक पत्र उन सफल उम्मीरदवारो को, जिनके नामो का खुलासा दिनांक 20 फरवरी 2018 के परिणाम में किया गया था, स़क्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने तथा उसके समक्ष, उन समस्त दस्तावेजों व अन्य प्रशंसापत्र जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उम्मीदवारों को लिखत परीक्षा तथा व्यवहारिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी थी, उन दस्तावेजों के सत्यापन की सत्यता परखने हेतु प्रस्तुत करने के लिए आमन्त्रित करने हेतु जारी किया।

7. याचिकाकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि निर्धारित तिथि दिनांक 19 अप्रैल 2018 को याचिकाकर्त्ता प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित हुआ और प्रतिवादी के पिछले पत्राचार दिनांकित 9 अप्रैल 2018 के माध्यम से मंगाये गये उसके समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कियें। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्त्ता को दिनांक 14 मई 2018 को साक्षात्कार कॉल लेटर भी जारी किया गया और तब उसे दिनांक 30 मई 2018 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार में भाग लेने हेतु बुलाया गया।

8. इस स्तर पर, याचिकाकर्त्ता की ओर से विद्वानअधिवक्ता द्वारा तर्क दिया कि वाद हेतुक या विवाद उत्पन्न/ अंकुरित होता है। उनका द्वारा कहा गया कि दिनांक 20 फरवरी 2018 को जारी परिणाम द्वारा याचिकाकर्त्ता को सफल घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप जब याचिकाकर्त्ता साक्षात्कार बोर्ड के सामने साक्षात्कार देने के लिए उपस्थित हुआ तो प्रतिवादी द्वारा उसे साक्षात्कार में भाग लेने या साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित नही की अनुमति नही दी गयी।

9. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिवचनों में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्त्ता द्वारा कई अनुराध किये जाने के बावजूद कोई लिखत आदेश पारित नही किया गया और बल्कि उन अधिकारियों द्वारा, जो उस स्थान पर उपस्थित थे, जहां साक्षात्कार का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था, याचिकाकर्त्ता को सूचित किया गया, कि याचिकाकर्त्ता द्वारा

दिनांक 19 अप्रैल 2018 को जो प्रशंसापत्र प्रस्तुत किये गये थे उस कारण से उसे साक्षात्कार बोर्ड में भाग नहीं लेने दिया जाएगाा। क्योंकि उसके द्वारा मात्र डिप्लोमा प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किया गया था। जो उसके द्वारा भारतीय वायु सेना से प्राप्त किया गया था और जो मात्र एक प्रमाण पत्र के प्रारूप में था। चूंकि उस प्रमाण पत्र के समर्थन में उसके साथ कोई मार्क शीट/अंक तालिका नही है और न ही दिनांक 19 अप्रैल 2018 को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। अतः मात्र डिप्लोमा के प्रमाण पत्र के प्रस्तुतिकरण पर ही याचिकाकर्त्ता को चयन प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नही माना जा सकता है। क्योंकि एक **सक्षम मान्यता प्राप्त संस्थान** द्वारा जारी किया गया डिप्लोमे का कोई प्रमाण पत्र एक उम्मीदवार की सफलता सम्बन्धी तथ्य को ही प्रमाणित करता है। परन्तु प्रमुख पात्र मानदण्ड, उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किये गये अंको पर आधारित योग्यता का निर्धारण, होगा और ऐसे अंको की अनुपस्थिति में जो सक्षम भारतीय वायु सेना अधिकारियों जहां से याचिकाकर्त्ता सेवानिवृत्त हो चुका है, द्वारा जारी किये जाने चाहिए थे और चूंकि वह सेना का पूर्व व्यक्ति था। अतः उसे यह सूचित कर दिया गया था, कि एक समर्थित अंक तालिका के अभाव में जारी किये गये मात्र डिप्लोमा के एक प्रमाण पत्र से ही किसी व्यक्ति को परीक्षा में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए योग्य माना जाना पर्याप्त नही होगा और इसी आधार पर वह साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तथा साथ ही साथ दिनांक 17 फरवरी 2017 के विज्ञापन के अनुसरण शूरू की गयी चयन प्रक्रिया के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्त्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि साक्षात्कार बोर्ड के सचिव साथ ही साथ प्रतिवादी संख्या 1 के सचिव ने उसे साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नही की जिस कारण यह रिट याचिका प्रस्तुत की।

10. रिटयाचिका में, याचिकाकर्त्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है, कि जब प्रतिवादी/प्रतिवादी संख्या 1 के सचिव द्वारा याचिका कर्त्ता को 30 मई 2018 के साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान न कर मौखिक रूप से इंकार किया गया तब याचिकाकर्त्ता द्वारा 1 जून 2018 को प्रतिवादी संख्या 1 तथा भारतीय वायु सेना के सक्षम अधिकारियों के समक्ष भी प्रतिनिधित्व किया गया तथा 1 जून 2018 के कथित प्रतिनिधित्व/अभ्यावेदन की एक हार्ड कॉपी साथ ही साथ भारतीय वायु सेना अधिकारियों तथा प्रतिवादी संख्या 1 को भी 2 जून 2018 को भेजा गयी। अन्ततः अन्त में परिणाम घोषित किया गया और चयन प्रक्रिया की समाप्ति पर याचिकाकर्त्ता को, इस तथ्य के कारण कि उसे साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान नही की गयी थी, सफल नहीं दिखाया गया।

11. तब इस स्तर पर याचिकाकर्त्ता को यह प्रस्तुत रिट याचिका उसमें मांगे गये अनुतोष के लिए दायर करने की जरूरत महसूस हुई । जिसमें उसके द्वारा उसे, 20 फरवरी 2018 को घोषित परिणाम, जिसके द्वारा उसे परीक्षा की प्रक्रिया में सफल माना गया था, के अनुसरण में क्षेत्रीय निरीक्षक( परिवहन )के पद के लिए आयोजित साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने की घोषणा करने की मांग की गयी।

12. जब रिट याचिका विचाराधीन थी, तब एक व्यक्ति श्री संजय सिंह द्वारा एक आरोपण आवेदन दायर किया गया था जिसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपने आदेश दिनांकित 15 जुलाई 2019 के माध्यम से स्वीकृत किया गया तथा श्री संजय सिंह को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप पक्षकार बनाये जाने के लिए निर्देशित किया गया था। श्री संजय सिंह को रिट की कार्यवाही में पक्षकार बनाये जाने का कारण यह था, कि जब चयन प्रक्रिया की समाप्ति पर, लिखित परीक्षा के समापन पर, एक उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाने के लिए कट ऑफ मार्क्स 113 निर्धारित किये गये थे, और जब नये बनाये गये पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 का तर्क है, कि वह कट ऑफ मार्क्स को पूर्ण/ सन्तुष्ट कर रहा था तो इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 3 विज्ञापन पदों में से एक पद को रिक्त रखने का एक अन्तरिम आदेश दिनांकित 25 जून 2018 पारित कर हस्तक्षेप करने से उसके अधिकार प्रभावित होगे क्योकि मेरिट लिस्ट में उसके स्थान तथा उसके द्वारा प्राप्त की गयी योग्यता को देखते हुए वह लिखित व व्यावहारिक परीक्षा के लिए निर्धारित कट ऑफ मार्क्स 113 के अनुसार विचाराधीन क्षेत्र के अन्तर्गत आएगा जो उसे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु योग्य बनाते है।

13. नये बनाये गये पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 ने तर्क दिया कि जब 30 मई 2018 को साक्षात्कार समाप्त हुआ, तो साक्षात्कार के अंक शामिल करने के पश्चात भर्ती के लिए 164 को कट ऑफ मार्क्स के रूप में निर्धारित किया गया। उन्होने कहा, कि दो उम्मीदवार जिन्हें पहले से ही नियुक्त कर लिया गया उनके अंक प्रतिवादी संख्या 4 से अधिक थे और उन्हे भर्ती कर लिया गया था परन्तु एक पद जिसे अन्तरिम आदेश दिनांकित 25 जून 2018 द्वारा भरे जाने पर रोक थी, उस पर वह नियुक्त किये जाने योग्य था।क्योकि मेरिट लिस्ट में अगला नाम उसी का था।

14. याचिकाकर्त्ता, जो विज्ञापन के तहत अपने चयन का दावा करता है, निम्नलिखित कानूनी कारणों से योग्य नहीं है –

भारतीय संविधान में, तकनीकी शिक्षा समवर्ती सूची III प्रविष्टि 25 के अन्तर्गत आती है, जो निम्नवत है–

''25. सूची 1 की प्रविष्टि 63,64,65, और 66 के उपबंधो के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत **तकनीकी शिक्षा,** अयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैः श्रमिकों का व्यावसायिक ओर तकनीकी प्रशिक्षण।''

15 विवाद पर पुनः विचार करते हुए देखा जाए तो उस विज्ञापन, जिसके आधार पर आवेदको को आमंत्रित किया गया था, उसके **खण्ड (4)** में इसकी शौक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, कि तीन रिक्त पदों के संबंध में नियुक्ति किये जाने हेतु एक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए। विज्ञापन के खण्ड (4) के उपखण्ड (1) में दी गई योग्यता निम्नवत् है–

''4. (1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता– (क) माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्ष (विज्ञान विषय ''सहित) या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

**(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त यांत्रिक (मैकेनिकल) या ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।**

(ग) किसी प्रतिष्ठित वृहत् ऑटोमोबाईल कार्याशाला में जहां डीजल तथा पेट्रोल इंजनयुक्त हल्के एवं भारी वाहनों (यात्री वाहनों सहित) की मरम्मत आदि से संबंधित कार्य होता हो, कार्य करने का न्यूनतम पॉच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

(घ) अभ्यर्थी मोटर साईकिल माल वाहन एवं यात्री वाहन/ भारी वाहन मोटर वाहन चलाने का लाईसेंस धारक हो।

(ड) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए।

नोटः– 1. अनुभव प्रमाण पत्र परिशिष्ट–3 के प्रारूप के अनुसार ही उपलब्ध कराने पर मान्य होगा।

2. अनुभव की गणना UK PSC ( Procedure & Conduct of Business) Rules 2013 के नियम 21 (4) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ही की जायेगी।

16. उपरोक्त शौक्षणिक योग्यता के अनुसार इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक के लिए पात्रता खण्ड 4 के उपखण्ड 1 के (ख) में प्रदान की गई है। जिसमें राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत् एक तकनीकी शौक्षिक योग्यता या शिक्षा के डिप्लोमें को एक निर्धारित योग्यता के रूप में माना जाएगा। चूँकि याचिकाकर्ता के पास जो डिप्लोमा है वह याचिककर्ता द्वारा उसे भारतीय वायु सेना द्वारा जारी किये जाने का दावा किया गया है। अतः उसे विज्ञापन के खण्ड 4 उपखण्ड 1 के उपखण्ड ख की योग्यता पूर्ण किये जाने वाला नही माना जा सकता है।

इसलिए याचिकाकर्ता के उम्मीदवारी अस्वीकृत की गई। क्योंकि उसके द्वारा न तो डिप्लोमा की अंक तालिका प्रस्तुत की गई तथा साथ ही वह डिप्लोमा, जिसके आधार पर उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी, उसे (डिप्लोमा) याचिकाकर्ता को योग्य बनाने हेतु **राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड** द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं माना जा सकता। तद्नुसार याचिकाकर्ता को साक्षात्कार में भाग लेने से इन्कार किये जाने को गलत नही कहा जा सकता है।

17. इसके पीछे एक कारण यह है कि विज्ञापन के खण्ड 4 उपखण्ड (1) के उपखण्ड (ख) में संदर्भित भारतीय सविधान के सूची 3 के अनुसूचि 7 में निहित शौक्षिक योग्यता तथा **राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड** के गठन एवं तकनीकी योग्यता को **उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2003** के संदर्भ में पड़ा जाना होगा। यह अधिनियम उत्तरांचल में तकनीकी बोर्ड के गठन तथा स्थापना किये जाने हेतु तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलो के लिए बनाया गया था।

18. प्रस्तुत विवाद को सुलझाने के उदेश्य से, याचिकाकर्ता का तर्क कि वह विज्ञापन के खण्ड 4 के अनुसार योग्य है, इस कारण से स्वीकार्य नही है क्योंकि कि 2003 के अधिनियम की धारा 2(क) के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा को निम्नवत् परिभाषित किया गया हैंः—.

> 2 जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—
> (क) ''प्राविधिक शिक्षा'' का तात्पर्य तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा से है, जो विभिन्न तकनीकी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है तथा जिसके लिए डिप्लोमा स्तर (2 से 3 वर्ष) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक (3 से 4 वर्ष) की अवधि के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे सिविल, विद्युत यांत्रिक रासायनिक अभियांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण (इन्सूटूमेंटेशन), सूचना प्रौद्योगिकी, वास्तुविद्या (आर्किटेक्चर), कम्प्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, टैक्सटाइल डिजानिंग, इन्टीरियर डिजाइन एवं डैकोरेशन, कार्यालय प्रबन्धन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित एवं उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा संबंधित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अन्य विविध व्यावसायिक तथा अभियात्रिकी पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती हैः

19. जिसका साधारणत्या अर्थ है कि तकनीकी शिक्षा वह तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा होगी, जो बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है और वह भी दो से तीन वर्ष के लिए आयोजित कोर्स होना चाहिए, चूँकि अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 2(क) के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा एक मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रदान की गई तीन वर्षीय तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए और साथ ही विज्ञापन में भी निर्धारित योग्यता तीन वर्षीय डिप्लोमा होना कहा गया है, निश्चित रूप से याचिकाकर्ता निम्न कारणो से विचाराधीन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते है—

(i) कि याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित डिप्लोमा एक मान्यता प्राप्त संस्था प्रदत नहीं था तथा वह मात्र एक डिप्लोमा था,जो तीन वर्षीय नही था। इसके विपरित कथित डिप्लोमा याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय वायु सेना से अपनी एक सीमित समय सितम्बर 2001 से मई 2002, जोकि एक वर्ष से भी कम का समय है, में आयोजित प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त अर्जित किया गया था और उसे अधिनियम की धारा 2(क) तथा विज्ञापन के उपखण्ड 4 में निर्धारित तीन वर्षीय योग्यता के समान नहीं माना जा सकता।

20. इसके अतिरिक्त विज्ञापन का उपखण्ड 4 के अनुसार डिप्लोमा योग्यता किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत होना चाहिए परन्तु वायु सेना द्वारा जारी डिप्लोमा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी डिप्लोमा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। क्योंकि यह 2003 के अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत एक मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं है, राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड को अधिनियम की धारा 2 की उपधारा(ख) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ बोर्ड यानि ''उत्तरांचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड से है''। बोर्ड का यह भेद उस डिप्लोमा के लिए, जो याचिकाकर्त्ता को भारतीय वायु अधिकारियों द्वारा तीन वर्ष से कम के लिए जारी किया गया, नही किया जा सकता।

21. सर्वप्रथम, यह एक मान्यता प्राप्त संस्था नही होगी यह एक वह संस्था नही होगी, जिसके द्वारा तीन वर्षीय डिप्लोमा आयोजित किया जाता है। इसलिए याचिकाकर्त्ता योग्य नही होगा, क्योंकि उसके डिप्लोमा को 2003 के अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (छ) में परिभाषित डिप्लोमा नही माना जा सकता जो कि निम्नवत है–

> ''(छ) ''डिप्लोमा'' से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे पाठ्यक्रम, जिन्हें नियमें एवं विनियमों द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए, किसी संबंद्ध संस्था से सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत आरम्भिक डिप्लोमा, एडवान्स डिप्लोमा, हायर डिप्लोमा, इन्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा उत्तर (पोस्ट) डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने पर परिषद् द्वारा दिए जानें वाल डिप्लोमा से है.''

22. अधिनियम 2003 के अनुसार वैधानिक प्रावधानों की समग्र जांच करने पर यदि इसे विज्ञापन की शर्तो तथा पूर्व उपरोक्त दिये गये कारणो के साथ पढा जाए, तो याचिकाकर्त्ता को, दिनांक 17 फरवरी 2017 के विज्ञापन के अन्तर्गत क्षेत्रीय निरीक्षक (परिवहन) के पदों के लिए दी गयी चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बिल्कुल योग्य नही कहा जा सकता है।

23. पूर्व उपरोक्त कथित कारणों तथा साथ ही इस कारण से कि वह प्रमाण पत्र जिसे अभिलेखों में प्रस्तुत किया गया है वह मात्र ऐसा प्रमाण पत्र है जो उस''मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर'' के कथित अनुसाशन तक ही सीमित है। जिसे भारतीय सरकार द्वारा **उन अधीनस्थ पदों जो भारतीय सरकार के पास उपलब्ध है, पर भर्ती किये जाने के प्रयोजनार्थ** समकक्ष मानते हुए अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 22 जुलाई 1977 से मान्यता प्रदान की गयी है। उस स्थिति में , याचिकाकर्त्ता को योग्य मानने के लिए उसके द्वारा दिये गये मेकेनिकिल ट्रांसपोर्ट फिटर के व्यापार की मान्यता को भारतीय सरकार द्वारा दी गयी मान्यता ही माना जा सकता है, न कि उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2003 द्वारा दी गयी मान्यता और वह भी यहां तक कि याचिकाकर्त्ता के पास जो प्रमाणपत्र उपलब्ध है, उसकी मात्र भारतीय सरकार की अधीनस्थ पदों पर भर्ती किये जाने के प्रयोजनार्थ ही गणना की जा सकती है। इसलिए याचिकाकर्त्ता के पक्ष में जो कथित प्रमाण पत्र जारी किया गया वह, मुख्यतः किसी अनुसमर्थित अंक तालिका के अभाव में, याचिकाकर्त्ता को राज्य द्वारा विज्ञापित उस पद पर, जिसके लिए 2003 के अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता के प्रावधानों के अनुसार विज्ञापन में योग्यता निर्धारित की गयी है, भर्ती किये जाने के लिए अनाधिकृत करता है।

24. यद्यपि याचिकाकर्त्ता के प्रमाणपत्र पर विचार भी किया जाए, तो भी वह वायु दिग्जजों के निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। जिसे किसी भी प्रावधान या कानून के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे डिप्लोमा, जारी किये जाने के लिए कानून द्वारा गठित तकनीकी ढांचा /निकाय नही माना जा सकता है, जो एक उम्मीदवार को किसी उपलब्ध पद पर नियुक्ति किये जाने, या राज्य और ऐसे पद के लिए जिस पर राज्य तकनीकी बोर्ड द्वारा जारी योग्यता आवश्यक हो, के लिए योग्य बना सके और वह भी तीन वर्षीय डिप्लोमा। चूंकि यह सब शर्ते याचिकाकर्त्ता द्वारा सन्तुष्ट नही की गयी अतः उसे शामिल न किये जाने या उसे साक्षात्कार में भाग लिए जाने हेतु अनुमति प्रदान न किये जाने को किसी भी प्रकार से गलत नही कहा जा सकता है।

25. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया, कि इस परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील, कि याचिकाकर्त्ता के दस्तावेजों, जो उसके द्वारा 15 मार्च 2017 को निर्धारित समय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये थे, की जांच बाद ही उसे पूर्व में सन्दर्भित तिथियों पर लिखित एवं व्यावहारिक परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान की गयी थी, याचिकाकर्त्ता के लिए किसी फायदा की नही है जिस का कारण विज्ञापन में दी गयी शर्ते है,

जिन्हें याचिकाकर्त्ता द्वारा स्वंय विज्ञापन के खण्ड 18(3) के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है, जो निम्नवत है–

> **“(iii) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः**
> (1) लिखित परीक्षा व प्रायोगिक परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।
> (2) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यार्थियों को पुनः आवेदन पत्र भरकर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/ आरक्षण/ अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दाये में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
> **(3) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहां अभ्यर्थी द्वारा शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।**
> (4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
> (5) मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांको के योग के अनुसार श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।''

26. साक्षात्कार में भाग लिए जाने हेतु आमन्त्रित किये जाने के लिए, दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है और वह चरण था जब दिनांक 19 अप्रैल 2018 को दस्तावेजों का सत्यापन किया गया तथा यह पाया गया कि याचिकाकर्त्ता का डिप्लोमा 2003 के अधिनियम के उपबन्धानुसार नही था। इसलिए याचिकाकर्त्ता को उचित रूप से अनुपयुक्त बनाया गया तथा मात्र चयन या सफल उम्मीदवारों की सूची में समाहित किया जाना, निश्चित रूप से उपरोक्त कथित खण्ड18(3) के अन्तर्गत दस्तावेजों की सत्यता की जांच किये जाने के अधीन होगा और यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया, कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग ( प्रक्रिया एवं व्यवसाय का संचालन) नियम 2013 और मुख्यतः नियम 22(9)के अन्तर्गत याचिकाकर्त्ता योग्य नहीं होगा क्योंकि विज्ञापन दिनांकित 17 फरवरी 2017 में निर्धारित योग्यता को 2003 के अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढतें हुए याचिकाकर्त्ता को साक्षात्कार में भाग लेने से मना करने/अनुमति प्रदान न करने को किसी भी प्रकार से गलत नही ठहराया जा सकता। परिणामस्वरूप, रिट याचिका असफल हो जाती है और उसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

27. लेकिन, जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका के खारिज किये जाने के अनुसरण में परिणामी कार्यवाही की जानी है, तो वह प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त चर्चित कानून के प्रावधानों तथा विज्ञापन की शर्तो के अनुसार ही अग्रसारित की जाएगी।

28. तद्नुसार, रिट याचिका में गुण का अभाव है और एतदद्वारा उसे खारिज किया जाता है। हांलाकि, व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नही होगा।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)

10.06.2022